

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

उप-पंजीयक पैनल 2017 बाबत स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 26.4.2017 को आयोजित की गई। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा चयन हेतु निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित कर चयन की कार्यवाही की गई :-

- 1- पात्र तहसीलदारों के विरुद्ध मण्डल एवं जिला स्तर पर सीसीए नियम 16 एवं 17 के तहत विभागीय जांच विचाराधीन नहीं हो,
- 2- पात्र तहसीलदारों के विरुद्ध एसीबी प्रकरण अथवा आपराधिक प्रकरणों में एफआईआर विचाराधीन न हो,
- 3- पात्र तहसीलदारों के विरुद्ध गत 7 वर्षों में कोई दण्ड दिया हुआ नहीं हो,
- 4- पात्र तहसीलदारों की गत 7 वर्षों की एसीआर में न्यूनतम 5 वर्ष की एसीआर (4 O/VG+1G) होने एवं कोई कृप्रविष्टि अंकित नहीं होने की स्थिति में चयन के पात्र होंगे।
- 5- पात्र तहसीलदार जिसका उप-पंजीयक पद पर 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण नहीं हुआ हो,
- 6- पात्र तहसीलदारों में बैच संख्या 26 के चयन पर विचार नहीं किया गया है।

